**भारत सरकार**

**इस्पात मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1755**

**01 अगस्त, 2022 को उत्तर के लिए**

**राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में कार्यरत कर्मचारी**

**1755. श्री जी.वी.एल. नरसिंहा राव:**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) में अधिशासी या अधिकारी ग्रेड में, गैर-कार्यकारी संवर्ग/ग्रेड में कितने स्थायी कर्मचारी कार्यरत हैं और आरआईएनएल में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) आरआईएनएल में नियमित आधार पर ऐसे कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं जिन्हें ठेकेदारों द्वारा विशेष रूप से आरआईएनएल के लिए नियोजित किया गया था;

(ग) क्या सरकार या आरआईएनएल ने वर्तमान विनिवेश योजनाओं के बारे में स्थायी या संविदा कर्मचारी संघों या प्रतिनिधियों के साथ कोई औपचारिक और अनौपचारिक चर्चा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(च) विनिवेश और आरआईएनएल के स्थायी और संविदा कर्मचारियों के दीर्घकालिक हितों की रक्षा के लिए और उनकी चिंताओं को दूर करने और विरोध से निपटने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित तंत्र क्या है?

**उत्तर**

**इस्पात राज्य मंत्री** **(श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)**

(क): राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) में कार्यपालक अथवा अधिकारी ग्रेड, गैर-कार्यपालक संवर्ग/ग्रेड में कार्यरत स्थायी कर्मचारियों की संख्या और आरआईएनएल के कुल कर्मचारियों की संख्या (31.03.2022 की स्थिति के अनुसार) निम्नानुसार है:

| | |
|---|---|
| कार्यपालक | 5190 |
| गैर-कार्यपालक | 10583 |
| कुल | 15773 |

(ख): आरआईएनएल प्रत्यक्ष रूप से किन्हीं संविदा कर्मचारियों को नियोजित नहीं करता है। आरआईएनएल में कुछ कार्य बाह्य एजेंसियों के माध्यम से आउटसोर्स किए जाते हैं, जो तत्पश्चात, कार्यों का निष्पादन करने के लिए संविदा कार्मिकों को नियोजित करती हैं। दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार, बाह्य एजेंसियों द्वारा नियोजित संविदा कार्मिकों की कुल संख्या 16,816 है।

(ग) से (च): आरआईएनएल प्रबंधन ने आरआईएनएल के विनिवेश के मुद्दे पर आरआईएनएल के विभिन्न पंजीकृत संघों से चर्चा की है और संयंत्र के कार्य-निष्पादन में सुधार एवं निरंतर उत्पादन की आवश्यकता से अवगत कराया है। भारत सरकार की इक्विटी के रणनीतिक विनिवेश से इष्टतम उपयोग हेतु पूंजी का संचार, क्षमता का विस्तार, प्रौद्योगिकी का प्रसार होगा तथा प्रबंधन पद्धितियां बेहतर होंगी जिससे उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ेगी और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नियोजन के अवसरों का विस्तार होगा। रणनीतिक बिक्री के नियमों और शर्तों को तय करते समय, शेयर खरीद समझौते (एसपीए) या अन्य समझौतों, जिन्हें संभावित रणनीतिक खरीदार के साथ सरकार द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना होता है, में किए गए उचित प्रावधानों के माध्यम से कर्मचारियों की न्यायसंगत चिंताओं का उपयुक्त रूप से समाधान किया जाता है।

******

**भारत सरकार**

**इस्पात मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1756**

**01 अगस्त, 2022 को उत्तर के लिए**

**इस्पात की कीमतों में उछाल**

**1756. डा. फौजिया खान:**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनवरी 2021 में भारत कच्चे इस्पात उत्पादन में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि देश में इस्पात की कीमतें बढ़ी हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अप्रैल-मई 2022 में देश में इस्पात की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि का निर्माण गतिविधियों पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या भूमिका निभाई गई है; और

(घ) सरकार द्वारा इस्पात की कीमतों में अचानक वृद्धि को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

**उत्तर**

**इस्पात राज्य मंत्री** **(श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)**

(क): विश्व इस्पात संघ द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2021 के दौरान, भारत 10.30 मिलियन टन के उत्पादन के साथ विश्व में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक था।

(ख) और (ग): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है जहां कीमतें मांग और आपूर्ति, वैश्विक बाजार की स्थितियों, कच्चे माल की कीमतों में रूझानों, लॉजिस्टिक लागत, बिजली और ईंधन लागत आदि से प्रभावित होती हैं। अप्रैल-मई 2022 की तुलना में जून, 2022 में प्रमुख इस्पात वस्तुओं की औसत कीमतें निम्नानुसार घटी हैं:-

| वस्तुएं | अप्रैल '22 | मई '22 | जून '22 |
|---|---|---|---|
| वॉयर रॉड 8 एमएम | 65949 | 65055 | 57775 |
| राउंड्स 12 एमएम | 66674 | 63108 | 57091 |
| टीएमटी 10 एमएम | 70265 | 66678 | 59172 |
| प्लेट 10 एमएम | 76225 | 71182 | 62309 |
| एचआर क्वॉइल 2.00 एमएम | 77949 | 73591 | 64629 |
| सीआर क्वॉइल 0.63 एमएम | 86335 | 80261 | 71877 |
| जी.पी शीट 0.63 एमएम | 91617 | 87377 | 78528 |
| स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति, जीएसटी रहित कीमतें रुपए प्रति टन में। | | | |

विगत वर्ष की समान अवधि की तुलना में अप्रैल-मई 2022 के दौरान निर्माण क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले लांग इस्पात उत्पादों के उत्पादन और खपत का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

| | कुल लाँग उत्पाद (बार्स, रॉड, स्ट्रक्चरल और रेलवे सामग्री) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | अप्रैल 21 | अप्रैल 22 | मई 21 | मई 22 |
| उत्पादन | 4.97 | 5.16 | 4.27 | 5.23 |
| खपत | 5.13 | 5.20 | 4.39 | 5.13 |
| स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी), मात्रा मिलियन टन में | | | | |

(घ): इस्पात की कीमतों को स्थिर करने के लिए सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें शामिल हैं:-

(i) केन्द्रीय बजट 2021-22 में, गैर मिश्र-धातु, मिश्र धातु और स्टेनलेस स्टील के सेमीज, फ्लैट और लाँग उत्पादों पर सीमा शुल्क को 7.5% तक घटा दिया गया है। केन्द्रीय बजट 2022-23 में इस्पात स्क्रैप पर सीमा शुल्क में छूट को 31.03.2023 तक बढ़ा दिया गया है, साथ ही इस्पात उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्कों (एडीडी) और प्रतिकारी शुल्कों (सीवीडी) को हटा दिया गया है। ग

(ii) सरकार ने दिनांक 21.05.2022 की अधिसूचना द्वारा इस्पात के कच्चे माल और अन्य इस्पात उत्पादों के शुल्कों में संशोधन किए हैं जिसमें एन्थ्रेसाइट/पलवराइज्ड कोल इंजेक्शन (पीसीआई) कोल, कोक, सेमी कोक और फेरो-निकेल पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया है। लौह अयस्क/सांद्र और लौह अयस्क पेलेट पर निर्यात शुल्क को बढाकर क्रमशः 50% और 45% कर दिया गया है और पिग आयरन एवं कई इस्पात उत्पादों पर 15% निर्यात शुल्क लगाया गया है।

******

**भारत सरकार**

**इस्पात मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1757**

**01 अगस्त, 2022 को उत्तर के लिए**

**इस्पात क्षेत्र में निवेश**

**1757. श्रीमती शांता क्षत्री:**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस्पात क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने और सुगम बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इसके लिए क्या उपाय किए गए हैं और वर्ष-वार और राज्य-वार उनकी उपलब्धियां क्या हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**इस्पात राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)**

(क) से (ग): इस्पात के एक नियंत्रण मुक्त क्षेत्र होने के कारण, सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए समर्थकारी वातावरण सृजित करके एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 का लक्ष्य इस्पात उत्पादकों को नीतिगत सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करके इस्पात उत्पादन में 'आत्मनिर्भरता' हासिल करने के लिए वातावरण प्रदान करना है। इसके अलावा, की गई कार्रवाई में निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. मंत्रालय में एक परियोजना विकास प्रकोष्ठ (पीडीसी) की स्थापना की गई है जो नए निवेशों को सुगम बनाने के लिए परियोजनाओं की पहचान करने, पाइपलाइन परियोजनाओं का मूल्यांकन करने और उनके कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के कार्य मे संलग्न हैं।

ii. पूंजी निवेशों को आकर्षित करके घरेलू उपयोग और निर्यात के लिए देश में विशेष इस्पात के विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए 6,322 करोड़ रूपये के परिव्यय के साथ विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को अधिसूचित करना।

iii. भारत में इस्पात क्षेत्र की सुविज्ञता को उजागर करने और भारतीय इस्पात क्षेत्र में निवेश के बहुविध अवसरों और व्यापारिक संभावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए हाल ही में दुबई में आयोजित वर्ल्ड एक्स्पो जैसे कार्यक्रमों में सहयोगिता, जापान, कोरिया, रूस के घरेलू इस्पात उपयोगकर्ताओं के साथ मंत्रालयीन प्रतिनिधिमंडल की चर्चा।

iv. देश में इस्पात के उपयोग, समग्र माँग और इस्पात क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए रेलवे, रक्षा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आवासन, नागर विमानन, सड़क परिवहन और राजमार्ग, कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों सहित क्षमतावान प्रयोक्ताओं के साथ और अधिक सहभागिता से 'मेक इन इंडिया' पहल और पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान।

v. भारतीय इस्पात क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए कतिपय इस्पात उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क (एडीडी), प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) जैसे व्यापार संबंधी उपचारात्मक उपायों के अंशशोधन (कैलिब्रेशन) के साथ इस्पात उत्पादों एवं कच्चे माल पर मूल सीमा शुल्क में समायोजन।

भारत विश्व में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। विगत तीन वर्षों के लिए उत्पादन का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

**कच्चा इस्पात : राज्य वार उत्पादन**

**('000 टी)**

| राज्य | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| अरूणाचल प्रदेश | 29 | 0 | 69 |
| असम | 67 | 59 | 108 |
| बिहार | 540 | 465 | 529 |
| झारखण्ड | 17209 | 15549 | 17094 |
| मेघालय | 92 | 37 | 56 |
| ओडिशा | 20253 | 21432 | 23241 |
| त्रिपुरा | 12 | 7 | 17 |
| पश्चिम बंगाल | 7764 | 7076 | 8836 |
| छत्तीसगढ़ | 13534 | 13183 | 14900 |
| दादरा और नगर हवेली | 285 | 145 | 253 |
| दमन और दीव | 46 | 40 | 46 |
| गोवा | 423 | 400 | 407 |
| गुजरात | 8680 | 8403 | 9189 |
| मध्य प्रदेश | 438 | 369 | 569 |
| महाराष्ट्र | 8260 | 7925 | 11371 |
| दिल्ली | 12 | 10 | 5 |
| हरियाणा | 596 | 731 | 941 |
| हिमाचल प्रदेश | 864 | 766 | 1265 |
| जम्मू और कश्मीर | 114 | 118 | 146 |
| पंजाब | 3310 | 2917 | 3663 |
| राजस्थान | 749 | 589 | 621 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश | 1198 | 1005 | 1197 |
| उत्तराखंड | 1077 | 950 | 991 |
| आन्ध्र प्रदेश | 6539 | 5898 | 7096 |
| कर्नाटक | 12875 | 11688 | 13045 |
| केरल | 304 | 253 | 325 |
| पुदुचेरी | 210 | 179 | 215 |
| तमिल नाडु | 2505 | 2159 | 2633 |
| तेलंगाना | 1154 | 1192 | 1464 |
| **कुल** | **109137** | **103545** | **120294** |
| स्रोत : संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) | | | |

******

**भारत सरकार**

**इस्पात मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1758**

**01 अगस्त, 2022 को उत्तर के लिए**

**इस्पात उत्पादन में अनुसंधान का विस्तार**

**1758. डा. अशोक कुमार मित्तल:**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस्पात के लागत प्रभावी उत्पादन के लिए अनुसंधान बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा पर्यावरण अनुकूल इस्पात उत्पादन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का इस्पात प्रौद्योगिकी के अध्ययन और विकास के लिए शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का विचार है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**इस्पात राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)**

(क) से (ग): इस्पात मंत्रालय "लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास का संवर्धन" नामक योजना के तहत लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए इस्पात उद्योग, सीएसआईआर प्रयोगशालाएं एवं शैक्षणिक संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इस योजना के तहत कवर प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत इस्पात के लागत प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल उत्पादन हेतु अनुसंधान भी शामिल हैं।

(घ) और (ड.): इस्पात प्रौद्योगिकी के अध्ययन और विकास के लिए नए शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****

**भारत सरकार**

**इस्पात मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1759**

**01 अगस्त, 2022 को उत्तर के लिए**

**ओडिशा में इस्पात क्षेत्र का विकास**

**1759. डा. सस्मित पात्रा:**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ओडिशा में वर्ष 2000 की तुलना में वर्ष 2022 में इस्पात उत्पादन कितना रहा;

(ख) ओडिशा में इस्पात क्षेत्र में वर्ष 2000 की तुलना में वर्ष 2022 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कितना रहा;

(ग) वर्ष 2000 की तुलना में वर्ष 2022 में ओडिशा में इस्पात क्षेत्र में घरेलू निवेश कितना रहा; और

(घ) देश के समग्र विकास में ओडिशा के इस्पात क्षेत्र के विकास का क्या प्रभाव पड़ा?

**उत्तर**

**इस्पात राज्य मंत्री** **(श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)**

(क) वित्तीय वर्ष 1999-2000 और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान क्रूड इस्पात के उत्पादन और प्रतिशतता परिवर्तन का ब्योरा नीचे दिया गया है:-

| **क्रूड इस्पात - ओडिशा** | | |
|---|---|---|
| वर्ष | उत्पादन ('000 टन में) | % परिवर्तन |
| 1999-00* | 1474 | - |
| 2021-22 | 23241 | 1476.7 |
| स्रोत: जेपीसी; *अनुमानित | | |

(ख) और (ग) एफडीआई के आंकड़ों का रखरखाव प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रभाग, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) करता है। एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह के राज्य-वार आंकड़ों का रखरखाव अक्टूबर, 2019 से किया जाता है। एफडीआई डेटाबेस के अनुसार, अक्टूबर, 2019 से मार्च 2022 तक की अवधि के दौरान 'ओडिशा' राज्य में 'धातुकर्म उद्योग' क्षेत्र के 'फेरस' उप-क्षेत्र में 'शून्य' एफडीआई अंतर्वाह सूचित किया गया है। तथापि, अप्रैल, 2000 से मार्च, 2022 की अवधि के दौरान 'फेरस'

क्षेत्र में सूचित एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह का ब्योरा अनुलग्नक-I में है। इस्पात क्षेत्र में घरेलू निवेश संबंधी आंकड़ों का रखरखाव नहीं किया जाता है।

(घ) समस्त भारत की तुलना में ओडिशा में क्रूड इस्पात उत्पादन का ब्योरा नीचे दिया गया है:-

| वर्ष | क्रूड इस्पात उत्पादन | | |
|---|---|---|---|
| | ओडिशा | भारत | ओडिशा की शेयर प्रतिशतता |
| | (एमटी) | (एमटी) | |
| 2018-19 | 16.97 | 110.92 | 15.3% |
| 2019-20 | 20.25 | 109.14 | 18.6% |
| 2020-21 | 21.43 | 103.54 | 20.7% |
| 2021-22 | 23.24 | 120.29 | 19.3% |
| स्रोत: जेपीसी; एमटी=मिलियन टन; | | | |

****

**अनुलग्नक I**

अप्रैल 2000 से मार्च 2022 तक एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह

क्षेत्र धातुकर्म उद्योग

उप-क्षेत्र फेरस

| **क्र.सं.** | **वर्ष** | **यूएसडी मिलियन में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह** |
|---|---|---|
| 1 | 2000-01<br>अप्रैल-मार्च | 19.1 |
| 2 | 2001-02 | 1.6 |
| 3 | 2002-03 | 0.5 |
| 4 | 2003-04 | 0.0 |
| 5 | 2004-05 | 0.8 |
| 6 | 2005-06 | 1.9 |
| 7 | 2006-07 | 27.8 |
| 8 | 2007-08 | 1.3 |
| 9 | 2008-09 | 69.2 |
| 10 | 2009-10 | 120.7 |
| 11 | 2010-11 | 555.5 |
| 12 | 2011-12 | 1125.2 |
| 13 | 2012-13 | 234.5 |
| 14 | 2013-14 | 6.4 |
| 15 | 2014-15 | 3.5 |
| 16 | 2015-16 | 0.0 |
| 17 | 2016-17 | 0.0 |

| | | |
|---|---|---|
| 18 | 2017-18 | 0.0 |
| 19 | 2018-19 | 70.3 |
| 20 | 2019-20 | 0.0 |
| 21 | 2020-21 | 0.0 |
| 22 | 2021-22 | 0.0 |
| | कुल योग | 2238.4 |
| स्रोत: डीपीआईआईटी | | |

****

**भारत सरकार**

**इस्पात मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1760**

**01 अगस्त, 2022 को उत्तर के लिए**

**बोकारो इस्पात टाउनशिप की भूमि पर अतिक्रमण**

**1760. #श्री धीरज प्रसाद साहू:**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र की नगरपालिका सेवाओं में मुख्य महाप्रबंधक सुरक्षा का नया पद सृजित करने के क्या कारण हैं और नये पद सृजन के बाद से बोकारो इस्पात की टाउनशिप में कितना अतिक्रमण कम हुआ है;

(ख) बोकारो इस्पात टाउनशिप पर विगत पांच वर्षों का अतिक्रमण जैसे जमीन, आवास/क्वार्टर आदि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बोकारो टाउनशिप में कुल बिजली का खर्च कितना है और विद्युत लाईन पारेषण का कितना नुकसान हुआ है, इसके क्या कारण हैं और इसको रोकने हेतु विगत पांच वर्षों में क्या उपाय किए गए हैं?

**उत्तर**

**इस्पात राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)**

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र के सुरक्षा प्रमुख का पद पहले से ही अस्तित्व में है जिसे वर्तमान में मुख्य महाप्रबंधक (सुरक्षा) का पदनाम दिया गया है।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान मुख्यतया पूर्व कर्मचारियों द्वारा क्वार्टरों के अनाधिकृत कब्जे के कारण (31.03.2022 की स्थिति के अनुसार प्रतिधारण अवधि से परे 828 मामले) क्वार्टरों के अनाधिकृत कब्जे के मामले 399 (31.03.2018 को) से बढ़कर 1377 (31.03.2022) हो गए हैं। हालांकि सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी तथा संपदा न्यायालय के आदेशों दवारा उक्त अवधि के दौरान 277 क्वार्टर खाली कराए गए। विजुअल सर्वेक्षण के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान अतिक्रमण की गई भूमि के आकार में कोई अंतर नहीं आया है।

(ग) वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बोकारो टाउनशिप में विद्युत आपूर्ति की कुल लागत लगभग 119.33 करोड़ रुपये है तथा तकनीकी कारणों, पुराने केबल कंडक्टर और अनाधिकृत कनेक्शन इत्यादि के कारण वितरण/ पारेषण हानि लगभग 38.87 प्रतिशत है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान बोकारो इस्पात संयंत्र टाउनशिप में हानि को रोकने के लिए किए गए कुछ उपाय निम्नानुसार हैं:-

(i) पारेषण हानि को न्यूनतम करने के लिए पुराने कंडक्टर को बदलना।
(ii) अवैध दोहन (टैपिंग) को रोकने के लिए कुछ क्षेत्रों में एरियल बंच केबल की संस्थापना।
(iii) बोकारो टाउनशिप के सभी क्षेत्रों में अवैध कनेक्शन को हटाने के लिए एंटी हुकिंग अभियान चलाया गया।
(iv) लो टेंशन नेटवर्क की भूमिगत केबलिंग की गई।

*****